

ORDER SHEET 48-2010Rct

THECOURT-----

Date of order of proceeding	Order or proceeding with singnature of presiding officer	Singnature of parties or pleaders where necessary
25-11-16	<p>राज्य द्वारा एडीपीओ श्री आलोक श्रीवास्तव उपस्थित।</p> <p>आरोपी अनुपस्थित की ओर से अधिवक्ता श्री एम.एस.यादव उपस्थित।</p> <p>अनुपस्थित आरोपी की ओर से अधिवक्ता ज्ञद्वारा दं. प्र.सं. की धारा 317 के अंतर्गत हाजिरी माफी आवेदन प्रस्तुत किया गया। वाद विचार आवेदन स्वीकार किया गया एवं अनुपस्थित आरोपी की उपस्थिति जरिये अधिवक्ता मान्य की गयी।</p> <p>प्रकरण आज अभियोजन साक्ष्य हेतु नियत है।</p> <p>आज दिनांक को अभियोजन द्वारा दं.प्र.सं. की धारा 321 के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत कर प्रस्तुत प्रकरण प्रत्याहत करने की अनुमति चाही गयी।</p> <p>आवेदन पर विचार किया गया। प्रकरण का अवलोकन किया गया।</p> <p>प्रकरण के अवलोकन से यह दर्शित है कि प्रकरण में आरोपी पर भा.दं.सं. की धारा 279 एवं 337 के अंतर्गत अपराध विवरण निर्मित किया गया है।</p> <p>यह भी उल्लेखनीय है कि प्रकरण वर्ष 2010 से लम्बित है एवं प्रकरण में फरियादी का कई प्रयासों को बावजूद भी पता नहीं चला है। अभियोजन द्वारा उक्त प्रकरण को प्रत्याहत करने का निवेदन किया गया है। अभियोजन द्वारा उक्त प्रकरण निष्फल प्रकृति का होना पाया गया है, चूंकि अभियोजन उक्त प्रकरण को निष्फल मानते हुए आगे नहीं चलना चाहता है एवं प्रकरण वापस लेना चाहता है। अतः वाद विचार अभियोजन द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 321 दं.प्र.सं. स्वीकार किया जाता है एवं अभियोजन को उक्त प्रकरण जनहित में वापस लेने की अनुमति</p>	

	<p>प्रदान की जाती है।</p> <p>आरोपी मुकेश यादव को भा.दं.सं. की धारा 279 एवं 337 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।</p> <p>प्रकरण में जब्तशुदा डम्फर पूर्व से सुपुर्दगी पर है।</p> <p>अतः उसके संबंध में सुपुर्दगीनामा निरस्त समझा जावे।</p> <p>प्रकरण का परिणाम दर्ज कर प्रकरण अभिलेखागार भेजा जावे।</p>	
	<p>सही / -</p> <p>(प्रतिष्ठा अवस्थी)</p> <p>जे०एम०एफ०सी०गोहद</p> <p>जिला भिण्ड म०प्र०</p>	